

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(135)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 14.8.18

::आज्ञा::

श्रीमती सुनीता मीणा की नियुक्ति कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर इस विभाग की आज्ञा दिनांक 30.03.2016 को क्रम संख्या-107 पर की गई थी। श्रीमती मीणा द्वारा गर्भावस्था एवं अभियोजन निदेशालय से कार्यमुक्त होने में समय लगने के कारण कार्यग्रहण अवधि में विस्तार चाहा गया। इस पर श्रीमती मीणा को इस विभाग की आज्ञा दिनांक 14.06.2016 द्वारा दिनांक 29.12.2016 तक 9 माह का कार्यग्रहण विस्तार दिया गया। श्रीमती मीणा के पुत्र का जन्म 13.07.2016 को हो चुका है।

श्रीमती मीणा द्वारा दिनांक 29.12.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि 29.12.2016 को स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण कार्यग्रहण करने में सक्षम नहीं हूँ तथा अपने वर्तमान विभाग अभियोजन निदेशालय से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ही आपके विभाग में कार्यग्रहण करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगी।

श्रीमती मीणा द्वारा आज दिनांक तक भी कार्यग्रहण नहीं किया गया है, जबकि नियमानुसार इनको गर्भावस्था के कारण दिनांक 29.12.2016 तक विस्तार स्वीकृत किया गया था, इसके पश्चात् इनको कार्यग्रहण कर लेना चाहिए था। इनके द्वारा बार-बार आवेदन पत्र कार्यग्रहण विस्तार की अनुमति मानना औचित्यपूर्ण नहीं है, जबकि इनका नियुक्ति इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(2)न्याय/13 दिनांक 30.03.2016 द्वारा की जाकर नगर निगम जयपुर में पदस्थापित किया गया था जो आज दिनांक तक भी इनके कार्यग्रहण करने हेतु रिक्त रखी हुई है। श्रीमती मीणा द्वारा कार्यग्रहण नहीं करके केवल मात्र कार्यग्रहण अवधि विस्तार का आवेदन कर समय व्यतीत किया जा रहा है। श्रीमती मीणा द्वारा आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

श्रीमती सुनीता मीणा की कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर की गई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,



(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. श्रीमती सुनीता मीणा, C/o श्री जे.पी. मीणा, 111/343, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली


14-8-18
संयुक्त शासन सचिव